

(To be published in Delhi Gazette Extra Ordinary Part IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT, DELHI – 110054.

No.DE.23(467) Sch. Br./2010/84

Date: 20-01-11

NOTIFICATION

In pursuance of section 36 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi, under section 35 of the RTE Act, 2009, appoints the following as authorized officers for the purposes of according sanction for prosecution for the offences punishable under sub-section (2) of section 13, sub-section (5) of section 18 and sub-section (5) of section 19 of the above Act, namely :-

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Director of Education,
Govt. of N.C.T. of Delhi | : | In respect of all schools within the
N.C.T. of Delhi |
| 2. | Director (Education),
Municipal Corporation of Delhi | : | In respect of schools under his/her
jurisdiction |
| 3. | Director (Education),
New Delhi Municipal Council | : | In respect of schools under his/her
jurisdiction |
| 4. | Chief Executive Officer,
Delhi Cantonment Board | : | In respect of schools under his/her
jurisdiction |
| 5. | Distt. Deputy Directors of Education,
Directorate of Education, GNCTD | : | In respect of all schools under their
respective jurisdictions |

By order and in the name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi

(SURESH GUPTA)
Addl. Secy.(Education)

Date: 20-01-11

No.DE.23(467) Sch. Br./2010/84

Copy to:

1. Secretary, MHRD, Govt. of India
2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi
3. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi
4. Secretary to Minister of Education, GNCT of Delhi
5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi
6. Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi
7. Director of Education, GNCT of Delhi
8. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council
10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board
11. Director, Dte. Of Information and Publicity, GNCT of Delhi
12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
13. All Branch Incharges, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
14. OS (IT) with the request to place it on the website of Dte. of Education.
15. Guard File.

(SURESH GUPTA)
Addl. Secy.(Education)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

सं0फा0 23(467)स्कू0शा0 / 2010 / 84


दिनांक: 20-01-11

अधिसूचना

सं0फा0 23(467)स्कू0शा0 / 2010 / - बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 36 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35 के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) तथा धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिये अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :-

- 1 शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समस्त स्कूलों के संबंध में
- 2 निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
- 3 निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
- 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
- 5 जिला उप-निदेशक, शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : उनके क्रमशः क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त स्कूलों के संबंध में

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,



(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं0फा0 23(467)स्कू0शा0 / 2010 / 84

दिनांक: 20-01-11

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव।
3. मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव।
4. प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. प्रधान सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम।
9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा/संयुक्त निदेशक शिक्षा/उप-निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
15. गार्ड फाईल।

4/21

(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)